पं० द० मसारी 01/2 पुरे-5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/8/2021	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी मय वकील उपस्थित हुआ प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मसारी ने अप्रार्थी के खिलाफ आराजी खसरा नम्बर 1157 रकबा 0.05 हैक्टर गैरमु० चाह मे से 0.03 हैक्टर वाके ग्राम मसारी पर पुख्ता तीन दुकान व फाटे आदि डालकर अतिक्रमी की रिपोर्ट की। इसपर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 17/5 2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू०अ०नि० दारोदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी सुरेन्द्र पुत्र श्री चेतराम जाति जाट नि० मसारी को भू०राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये ; नोटिस की तामील कराई गई, नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ने दिनांक 4/6/21 को अपना जवाब पेश किया तथा अपने जवाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी का ~~उक्त~~ उक्त चाह की जमीन पर अतिक्रमण नहि है। बल्कि प्रार्थी का ग्राम की आबादी की भूमि पर कब्जा है। तथा इस भूमि के आस-पास चारो तरफ आबादी बनी हुई है। तथा लोगो के मकान बने हुये है। तथा जिस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है उक्त भूमि रामोतार पुत्र गुन्शी जाति जोगी नि० मसारी के पूर्वजो की थी, तथा उक्त भूमि का स्वामीत्व प्रमाण पत्र रामोतार पुत्र गुंशी जाति जोगी नि० मसारी को ग्राम पंचायत मसारी द्वारा दि० 13-7-1996 का जारी किया गया है। तब पहले रामोतार तथा उसके परिवार वालो का कब्जा था तथा उसके बाद इस भूमि को प्रार्थी ने जरिये इकरारनामा रामोतार एवं उसके परिवार वालो से खरीदा है तथा प्रार्थी की पुख्ता तीन दुकान बनी हुई है। Conti –

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/21	तथा पत्थर, बजरी आदि डली हुई तथा पशुधन बंधता है। तथा उक्त दुकानो मे प्रार्थी ने विद्युत कनेक्शन भी करवा रखा है। पटवारी हल्का ने बिना पैमाईश किये तथा बिना मौके की जांच किये गलत रिपोर्ट पेश की है। कुईंया एवं कुआ की जमीन इस जमीन के अलावा मौके पर आज भी मौजूद है। प्रार्थी का आबादी भूमि पर कब्जा है। जो प्रार्थी ने पंचायत के स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर खरीद की है। अतिक्रमी के अभिभाषक ने भी अपनी बहस मे जवाब मे लिखित तथ्यो को ही दोहराया है। तथा अपनी बहस मे इस बात पर जोर दिया है कि उक्त जमीन आबादी भूमि है। तथा रामोतार जोशी के पूर्वजो की भूमि है। जिसकी ताईद ग्राम पंचायत के स्वामित्व प्रमाण पत्र से ताईद होती है। कि इस भूमि पर पहले रामोतार जोशी का कब्जा रहा है अगर यह चाह की भूमि की तो पटवारी हल्का ने इससे पूर्व रामोतार के खिलाफ 91 LR Act की रिपोर्ट क्यों नही की, इस जमीन के चारो तरफ गांव की आबादी है। तथा पीछे स्कूल है। तथा दुकानो पर विद्युत कनेक्शन हो रहा है। तथा कुआ एवं कुआ की जमीन के अलावा ग्राम पंचायत के स्वामित्व प्रमाण पत्र मे दर्ज कर रखी है। नोटिस की कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया। हमने अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अभिभाषक की बहस तथा जवाब पर गौर फरमाया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी का कब्जा इस चाह की जमीन पर नही है। तथा अतिक्रमी की खरीद शुदा आबादी भूमि है। अत: पत्रावली ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर व नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सुनाया [signature] तहसीलदार ... (अलवर)	